



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218811
CG-DL-E-19032020-218811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1027]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941

No. 1027]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 1145(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 के खंड (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, सस्ते और मध्यम वर्ग आय आवास निवेश निधि-I के लिए विशेष विंडों से जुटाए गए ऋण को अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “सस्ते और मध्यम वर्ग आय आवास निवेश निधि-I के लिए विशेष विंडों” पद से केंद्रीय सरकार द्वारा अवरुद्ध आवास परियोजनाओं हेतु प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में प्रायोजित और ऐसी अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को, जो सस्ते और मध्यम वर्ग आय आवास सैक्टर के लिए हैं, पूर्ण करने के लिए वित्त पोषण कराने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत निधि, अभिप्रेत होगी।

[फा. सं. 30/9/2020-इंसोल्वेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 1145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (15) of section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby notifies a debt raised from the Special Window for Affordable and Middle-Income Housing Investment Fund I, for the purposes of the said clause.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression “Special Window for Affordable and Middle-Income Housing Investment Fund I” shall mean the fund sponsored by the Central Government for providing priority debt financing for stalled housing projects, as an alternate investment fund and registered with the Securities and Exchange Board of India, established under sub-section (1) of section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), to provide financing for the completion of stalled housing projects that are in the affordable and middle-income housing sector.

[F. No. 30/9/2020-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.